न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूं, जिला जयपुर

मु.न. 55/2018

उनवान

1. अर्जुनलाल पुत्र मांग्या, जाति जाट, निवासी ग्राम जैतपुरा, तहसील चौमूं जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. गुल्ला पुत्र परसा
2. प्रहलाद पुत्र परसा
3. भगवान पुत्र परसा
4. हनुमान पुत्र परसा
5. गोपाल पुत्र रामसहाय
6. बाबूडा पुत्र रामसहाय
7. कमली पुत्री सरजू देवी
8. मदन लाल पुत्र रामलाल
9. सोहन लाल पुत्र रामलाल
10. नाथी पत्नी मांग्या
11. रामनारायण पुत्र मांग्या
12. सुरेश पुत्र लक्ष्मा दौयता सरजू देवी

    समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम जैतपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर
13. मुकेश पुत्र लक्ष्मा दोयता सरजू देवी जाति जाट निवासी जैतपुरा तहसील चौमूं।
14. रामस्वरूप पुत्र गणेशनारायण, जाति हरियाणा ब्राहाण, निवासी ग्राम अणतपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
15. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक :– 15.03.2021

पत्रावली पेश हुई। वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 14 ग्राम जैतपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर के रहने वाले काश्तकार पेशा व्यक्ति है जो काश्त कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करते आ रहे हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Surana
Date: 2021.04.12 22:20:30 IST
Reason: SelfAttested

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 14 की खातेदारी ... ग्राम जैतपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित है जिसके पुराने खसरा नम्बर 843 मि. रकबा 0.21 हैक्टेयर है जिसके दौराने सेटलमेन्ट नये खसरा नम्बर 19.. / 2639 किता 1 का रकबा 0. 21 हैक्टेयर बनाये गये जिसके वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 14 रिकॉर्डेड खातेदार व काबिज काश्तकार है। उक्त भूमि को वाद पत्र में विवादग्रस्त कहा गया है।

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 14 अपनी उक्त खातेदारी भूमि पर शामलाती रूप से काबिज काश्त है तथा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 14 की उक्त आराजी के

Scanned with CamScanner

राजस्व रिकॉर्ड पुराने खसरा नम्बर 843 मि. के मिसल बन्दोबस्त व नक्शे में कोई रास्ता अथवा पगडण्डी अंकित नहीं रही है और ना ही उक्त भूमि पर कभी कोई रास्ता कायम रहा और ना ही कभी कोई व्यक्तियों द्वारा उक्त भूमि को कभी भी रास्ते के रूप में उपयोग लिया गया तथा उक्त भूमि की किस्म बरानी–2 चली आ रही थी जो दौराने भू–प्रबन्ध उक्त पुराने नम्बर के बनाये गये नये खसरा नम्बर 1987/2639 के नक्शे में तथा जमाबन्दी में बिना किसी आदेश के परिवर्तन करते हुए खसरा नम्बर 1987/2639 किता 1 का रकबा 0.21 हैक्टेयर किस्म बारानी–2 के स्थान पर गै. मु. सड़क तथा राजस्व नक्शे में तरमीम करते हुए सड़क अंकित कर दी गई तथा 0.21 हैक्टेयर गै.मु. सड़क की अलग जमाबन्दी कायम करते हुए वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 14 की शामलाती खातेदारी गै.मु. रास्ता दर्ज करते हुए राजस्व रिकॉर्ड बना दिया गया, जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

वादी अपने हक हिस्से की भूमि पर लोन लेने हेतु उक्त खसरा नम्बर की जमाबन्दी निकलवाकर बैंक में गया तब बैंक वालों ने वादी को बताया कि उक्त भूमि पर लोन नहीं दिया जा सकता क्योंकि उक्त भूमि की खातेदारी तो वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 14 के नाम से दर्ज है लेकिन उक्त भूमि की किस्म गै.मु. सड़क दर्ज है जिस पर लोन नहीं दिया जा सकता तब वादी द्वारा उक्त भूमि का प्रारम्भ से राजस्व रिकॉर्ड निकलवाया गया तब वादी को सर्वप्रथम जानकारी हुई कि हाल पैमाईश के समय राजस्व कारकूनानों की त्रुटि की वजह से राजस्व रिकॉर्ड बनाते समय उक्त खसरा नम्बर की भूमि की किस्म बारानी–2 के स्थान पर गै.मु. सड़क दर्ज कर दी जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है अन्यथा भविष्य में विवाद होने की सम्भावना बढ़ जायेगी।

अतः वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावें :–

वाद वादी बाबत् जमाबन्दी व नक्शे की दुरूस्ती का डिक्री फरमाया जाकर उक्त आराजी खसरा नम्बर 1987/2639 किता 1 का रकबा 0.21 हैक्टेयर की हाल जमाबन्दी में अंकित भूमि की किस्म गै.मु. सड़क के स्थान पर बारानी दर्ज किया जावें तथा राजस्व नक्शे में अंकित रास्ते को हजफ कर नक्शे में अंकित लाईनों को हटाया जावें तथा उक्त राजस्व रिकॉर्ड को हाल पैमाईश से पूर्व में दर्ज अनुसार दुरूस्ती किया जाना प्रार्थनीय है।

पत्रावली पेश हुई। दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 15 बावजूद तलबी अनुपस्थित है। अतः इनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। दावे के सम्बन्ध में तहसीलदार चौमूं से रिपोर्ट प्राप्त की गई। मुताबिक रिपोर्ट ग्राम जैतपुरा स्थित आराजी खसरा नम्बर 1987/2639 रकबा 0.21 है0 में से 0.09 है0 भूमि सडक के काम आ रही है तथा शेष भूमि मे 0.01 है0 भूमि पुख्ता दुकान निर्मित है एवं 0.11 है0 भूमि मौके पर पडत है।

पत्रावली एवं दस्तावेजात, रिपोर्ट तहसीलदार चौमूं का अवलोकन किया गया। बहस अधिवक्ता वादी की सुनी गई । प्रकरण में त[illegible]रिस्थितियों अनुसार मुताबिक तहसीलदार चौमूं रिपोर्ट अनुसार [illegible] [illegible]त होता हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Surana
Date: 2021.04.12 22:20:30 IST
Reason: SelfAttested

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाता हैं तथा [illegible] जैतपुरा, पटवार हल्का जैतपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित हाल आराजी खसरा नम्बर 1987/2639 रकबा 0.21

Scanned with CamScanner

है0 में से 0.09 है0 भूमि सडक को छोडते हुए शेष 0.12 है0 भूमि को बारानी दर्ज किया जाकर अलग खसरा नम्बर कायम करने की घोषणा की जाती है तथा हाल राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार दुरूस्थी करने के आदेश दिये जाते है। शेष हिस्सा बदस्तुर रहेगा। डिक्री जारी हों। डिकी की प्रति तहसीलदार चौमूं को पालनार्थ प्रेषित हों।

निर्णय आज दिनांक 15.03.2021 को खुले न्यायालय मे मेरे द्वारा सुनाया गया।

(अभिषेक सुराणा)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Surana
Date: 2021.04.12 22:20:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner